Form No. III
फर्दअहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा बनाम **श्रीमती अणछीबाई वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 77(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र (रे.वि.)** नं0 **279** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी कंपनी हाजिर। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी कंपनी द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा विपक्षी संख्या 1–2 की खातेदारी आराजीयात के खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा राशि का निर्धारण किया जा चुका है एवं प्रार्थी कम्पनी न्यायालय निर्णयानुसार मुआवजा राशि का भुगतान विपक्षी संख्या 1–2 को किये जाने हेतु तैयार एवं तत्पर है। विपक्षी संख्या 1–2 द्वारा मुआवजा राशि के चैक प्राप्त नहीं किये जाने से तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/2022/ 1038 दिनांक 13.06.2022 से अप्रार्थी संख्या 1–2 के नाम के अवितरित चैक इस न्यायालय को प्रेषित किये गये। न्यायालय आदेश दिनांक 13.12.2023 से अप्रार्थी संख्या 1–2–3 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थीगण इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रकरण माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने हेतु प्रेषित किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 125/2021(रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम अणछीबाई वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (2) एवं (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 24.11.2021 से आराजीयात जैरबहस के खनन प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 14,22,588/– अक्षरे चौदह लाख बाईस हजार पांच सौ अठ्ठासी रूपये मात्र का संबंधित अप्रार्थी संख्या 1–2 द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं करने से मुआवजा राशि न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/2022/1038 दिनांक 13.06.2022 से प्राप्त चैक जो कि अप्रार्थी संख्या 1–2 के नाम पर जारी किया गया है को प्रार्थी कम्पनी को लौटाया जावें एवं लिखा जावें कि निर्धारित मुआवजा राशि का सिविल डिपोटिज हेतु नवीन चैक जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रस्तुत करावें। पत्रावली बाद पालना के प्रार्थी कम्पनी द्वारा नवीन चैक प्रस्तुत करने पर पुनः पेश हों। -S/d- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 30.05.2024	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official